न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 02/2023
रजि. संख्या : 2023/10

प्रार्थीपक्ष :–		अप्रार्थी :–
श्री महेन्द्र कुमार पिता- श्री बाबुलाल, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत पाटन भाग – द्वितीय, तहसील बागीदौरा, जिला बॉसवाडा (राज.)	बनाम	राजस्थान राज्य द्वारा जिला रसद अधिकारी, बॉसवाडा

उपस्थित

श्री भगवत पुरी (अधिवक्ता अपीलार्थी) — विभागीय प्रतिनिधि

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम आदेश 1976) विरूद्ध निर्णय दिनांक 21–04–2022, न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बॉसवाडा प्रकरण संख्या 17/2020

निर्णय

दिनांक :– 05–04–2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी डीलर श्री महेन्द्र कुमार पिता बाबुलाल उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत पाटन भाग – द्वितीय के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच श्री लालशंकर डामोर प्रवर्तन निरीक्षक श्री सोहन सिंह चौहान प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय द्वारा मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं की मौजूदगी में दिनांक 10.04.2020 को की जाकर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मौके पर उपस्थित 18 उपभोक्ताओं और उनके राशन कार्ड की जांच की और उनमें अनियमितता पायी गई। प्रवर्तन निरीक्षक ने 45.90 क्विंटल गेंहू का दुरुपयोग पाया। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया। जिसका उत्तर अपीलार्थी ने दिनांक 01.08.2020 को प्रस्तुत किया। दिनांक 21.04.2022 को अपीलगत आदेश से अपीलार्थी की उचित मूल्य की [illegible] द्वितीय तहसील बागीदौरा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:46:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

प्राधिकार पत्र संख्या 1311/2005 निरस्त कर दिया व प्रतिभूति राशि जब्त सरकार की गई। जिससे व्यथित व असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी ने अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेंट को सम्मन जारी किया गया।

दिनांक 16.02.2023 को रेस्पोण्डेंट/ जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि रेस्पोडेट द्वारा उक्त प्रकरण में तथ्यों के आधार पर विधि संगत ढंग से निर्णय पारित किया गया है। ग्राम पंचायत पाटन भाग–द्वितीय के उचित मूल्य दुकानदार महेन्द्र कुमार/बापुलाल के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच लालशंकर डामोर प्रवर्तन निरीक्षक, बहमराह सोहन सिंह चौहान प्रवर्तन निरीक्षक कर्यालय हाज द्वारा मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं की मौजूद में दिनांक 10.04.2020 को की जाकर जांच टिम्बी भाग–प्रथम व द्वितीय के उपभोक्ताओं के राशनकार्डो पर फर्जी तरीके से 177 राशनकार्डो पर कुल 45.90 क्विंटल गेहूं का माह अप्रेल 2020 के पेटे अपनी पोस से फर्जी ट्रांजेक्शन किया जाकर उपभोक्ताओं को गेहूं नहीं दिया गया। मार्च 2020 में कोरोना के कारण बायोमेट्रिक सत्यापन से छुट मिलने का अनुचित लाथ उठाते हुए इन्हें वितरण करना दर्शाया गया है। जिससें वास्तविक उपभोक्ता माह अप्रेल के गेहूं से वंचित रह गये। मौके पर उपस्थित 18 उपभोक्ताओं से पूछताछ की गई एवं उनके राशनकार्डो से वितरण के विवरण की जांच की गई। इस प्रकार कोविड–19 की रोकथाम हेतु खाद्य विभाग ने बिना बायोमैट्रिक सत्यापन के गेहूं वितरण करने की व्यवस्था लागु की गई थी, जिसका फायदा उठाते हुए उचित मूल्य दुकानदार महेन्द कुमार/बापुलाल [illegible] 11548 द्वारा पोस मशीन में उपभोक्ताओं के राशन कार्ड नम्बर दर्ज कर एवं फर्जी ट्रांजे[illegible] कर 45.90 क्विंटल गेहूं का गबन एवं दुरूपयोग किया गया। जबकि पाटन व मोटी के मध्य [illegible] दुरी 30 कि.मी. है। इस प्रकार उक्त डीलर ने बद नियत से 177 उपभोक्ताओं के राशनकार्डो पर फर्जी तरीके से ऑनलाईन ट्रांजेक्शन

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:46:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर

कर 45.90 क्विंटल गेहूं का गबन कर दुरूपयोग किया गया। उक्त डीलर ने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के अंतर्गत जारी प्राधिकार की शर्त संख्या 9, 11, 15, 17सी व 18 का स्पष्ट उल्लंघन किया जाने से अप्रार्थी डीलर के विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज किया जाकर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 531–39 दिनांक 16.04.2020 द्वारा उसका प्राधिकार–पत्र निलम्बित किया गया एवं दिनांक 22.07.2020 को उसे कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। जिसका जवाब उसके द्वारा 07.08.2020 को दिया। जवाब में डीलर ने फर्जी ट्रांजेक्शन के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अनियमितताओं के आधार पर ही डीलर के विरूद्ध पुलिस थाना कलिंजरा में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रथम सुचना रिपोर्ट क्रमांक 0239/25.11.2021 को दर्ज करवाई गई। इसके बाद प्रकरण में सुनवाई की जाकर दिनांक 21.04.2022 को डीलर का प्राधिकार–पत्र संख्या 1311/2005 निरस्त किया जाकर समस्त प्रतिभूति राशि जब्त की गई है। अपील को खारिज करने के आदेश जारी करने का श्रम करावे।

दिनांक 05.04.2023 को उभय पक्षीय बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा के निर्णय दिनांक 21.04.2022 के पश्चात् उक्त अपील दिनांक 12.01.2023 को प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार आठ माह के पश्चात यह अपील प्रस्तुत की गई जो अवधि पार हो चुकी है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता की ओर से बहस में कथन किया गया कि अपीलार्थी को प्रश्नगत निर्णय दिनांक 21.04.2022 की जानकारी नही थी तथा प्रश्नगत निर्णय भी अपीलार्थी की अनुपस्थिति में हुआ है। जानकारी होने पर प्रतिलिपि हेतु आवेदन करने कर निर्णय की प्रति दिनांक 03.01.2023 को प्राप्त होने पर एक माह की अवधि में अपील प्रस्तुत की गई है। अपील में देरी का कारण युक्तियुक्त, सद्भाविक एवं न्याय संगत होकर स्वीकार किये जाने योग्य है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:46:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

जहां तक अपील म्याद बाहर होने का प्रश्न है। दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहूँचे है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर होना चाहिये। लिहाजा अपीलान्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद समाहित करने के आदेश दिये जाते है।

उभयपक्षकारान ने मूल अपील पर बहस प्रस्तुत की। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने बहस में अपनी अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 10.04.2020 को अपीलार्थी की उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण करना बताया है। जबकि कोविड– 19 कोरोना वैश्विक महामारी राष्ट्र में व्याप्त थी। उक्त अवधि के दौरान अपीलार्थी को राज्य सरकार द्वारा हर जरुरतमंद को भोजन हेतु राशन उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किये थें तथा उपभोक्ताओ को घर घर जाकर राशन वितरण करने हेतु निर्देशित किया गया था। उस दौरान पॉस मशिन व राशन कार्ड में इन्द्राज की बाध्यता से भी छुट प्रदान की थी। इस कारण कुछ उपभोक्ताओ के राशनकार्ड में इन्द्राज नही होना अनियमितता की श्रेणी में नही आता है।

प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जो कमियॉ बताई गई है वह असत्य है। राशन वितरक के रुप में अपीलार्थी ने किसी प्रकार की कोई अनियमितताऐं नही की है। साक्षीयों के बयान नही लिये गये है। जिसका कोई स्पष्टीकरण भी प्रत्यर्थी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जांचकर्ता से नही मांगा गया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा कोई अनियमितता नही की गई है और राशन वितरण में कोई गडबडीयॉ नही की गई है। अभिकथित 45.90 क्विंटल गेहू को भी अपीलार्थी द्वारा वितरण कर दिया गया है। जिन 18 उपभोक्ताओ के राशनकार्ड के इन्द्राज के सम्बन्ध में आपत्ति की गई है, उनके मौखिक बयान अथवा कोई शिकायत जांचकर्ता अथवा प्रत्यर्थी ने प्राप्त नही किये है। उक्त राशनकार्डो में भी [illegible] कम सामग्री देकर ज्यादा सामग्री का अंकन करने का कोई आरोप अपीलार्थी पर नही है। अपीलार्थी द्वारा उपभोक्ताओ को उनकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:46:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

आवश्यकतानुसार मांग किये जाने पर जितनी सामग्री का वितरण किया उतना अंकन राशनकार्ड में किया गया है।

पुलिस थाना कलिंजरा ने जिला रसद अधिकारी बांसवाडा द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्राथमिकी में अनुसंधान के पश्चात् पुलिस थाना कलिंजरा में मामला अदम वाकुआ तथ्य की भूल मानकर अंतिम नकारात्मक प्रतिवेदन संख्या 11/2021 दिनांक 09.05.2022 श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसवाडा के न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई राशन सामग्री का गबन नही किया गया है और यदि कोई भूल अपीलार्थी से हुई है तो वह दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से नही हुई है।

अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अवसर प्राप्त नही हुआ है। विचारण के दौरान अपीलार्थी को नही सुना गया है। अपीलार्थी द्वारा अपने मामले की जानकारी मांगने पर सुनवाई के समय बुलाने का आश्वासन दिया व यह कहा कि आपके विरुद्ध पुलिस थान कलिंजरा में प्राथमिकी लेखबद्ध कराई है। जिसमें नतीजा आने के पश्चात् आपके मामले क सुनवाई होगी। अपीलार्थी पुलिस थाना कलिंजरा के मामले में नतीजे का इन्तजार करता रहा। इ दौरान अधिनस्थ न्यायालय ने सुने बिना उक्त निर्णय पारित किया है। अपील अपीलार्थी स्वीक की जाकर अधिनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी बांसवाडा का निर्णय दिनांक 21.04.20 अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 1311/2005 को पुनः बहाल व प्रतिभूति राशि रुपया 1000/- दिलाया जावे।

रेस्पोडेंट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने जवाब में प्रस्तुत तथ्यो को दोहराते हुए क किया कि रेस्पोडेट द्वारा उक्त प्रकरण में तथ्यों के आधार पर विधि संगत ढंग से निर्णय पा किया गया है। ग्राम पंचायत पाटन ग्राम द्वितीय के उचित मूल्य दुकानदार महेन्द्र कुमार/बापु के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच प्रवर्तन निरीक्षक, बहमराह सोहन सिंह चौ प्रवर्तन निरीक्षक कर्यालय हाज द्वारा मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं की मौजूद में दिनांक 10

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:46:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाडा (राज.)

2020 को की जाकर जांच टिम्बी भाग–प्रथम व द्वितीय के उपभोक्ताओं के राशनकार्डों पर फर्जी तरीके से 177 राशनकार्डो पर कुल 45.90 क्विंटल गेहूं का माह अप्रेल 2020 के पेटे अपनी पोस से फर्जी ट्रांजेक्शन किया जाकर उपभोक्ताओं को गेहूं नहीं दिया गया। मार्च 2020 में कोरोना के कारण बायोमेट्रिक सत्यापन से छुट मिलने का अनुचित लाथ उठाते हुए इन्हें वितरण करना दर्शाया गया है। जिससें वास्तविक उपभौक्ता माह अप्रेल के गेहूं से वंचित रह गये। मौके पर उपस्थित 18 उपभोक्ताओं से पूछताछ की गई एवं उनके राशनकार्डो से वितरण के विवरण की जांच की गई। इस प्रकार कोविड–19 की रोकथाम हेतु खाद्य विभाग ने बिना बायोमैट्रिक सत्यापन के गेहूं वितरण करने की व्यवस्था लागू की गई थी, जिसका फायदा उठाते हुए उचित मूल्य दुकानदार महेन्द कुमार/बापूलाल पोस कोड 11548 द्वारा पोस मशीन में उपभोक्ताओं के राशन कार्ड नम्बर दर्ज कर एवं फर्जी ट्रांजेक्शन कर 45.90 क्विंटल गेहूं का गबन एवं दुरूपयोग किया गया। जबकि पाटन व मोटी के मध्य की दुरी 30 कि.मी. है। इस प्रकार उक्त डीलर ने बद नियत से 177 उपभोक्ताओं के राशनकार्डो पर फर्जी तरीके से ऑनलाईन ट्रांजेक्शन कर 45.90 क्विंटल गेहूं का गबन कर दुरूपयोग किया गया। इस प्रकार उक्त डीलर ने राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के अंतर्गत जारी प्राधिकार की शर्त संख्या 9, 11, 15, 17सी व 18 का स्पष्ट उल्लंघन किया जाने से अप्रार्थी डीलर के विरूद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज किया जाकर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 531–39 दिनांक 16.04.2020 द्वारा उसका प्राधिकार–पत्र निलम्बित किया गया एवं दिनांक 22.07.2020 को उसे कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। जिसका जवाब उसके द्वारा 07.08.2020 को दिया गया। जवाब में डीलर ने फर्जी ट्रांजेक्शन के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अनियमितताओं के आधार पर ही डीलर के विरूद्ध पुलिस थाना कलिंजरा में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रथम सुचना रिपोर्ट क्रमांक 0239/25.11.2021 को दर्ज करवाई गई। इसके बाद प्रकरण में सुनवाई की जाकर दिनांक 21.04.2022 को डीलर का प्राधिकार पत्र संख्या 1311/2005 निरस्त किया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:46:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

समस्त प्रतिभूति राशि जब्त की गई है। अपील को खारिज करने के आदेश जारी करने का श्रम करावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार अनियमितता पाये जाने पर अपीलार्थी डीलर के विरुद्ध जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा द्वारा प्रकरण सं. 17/2020 दर्ज कर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 1311/2005 दिनांक 16.04.2020 को निलम्बित किया गया तथा बाद सुनवाई अपीलार्थी डीलर द्वारा 45.90 क्विं. गेहु गबन कर दुरुपयोग किया जाना पाये जाने पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त करते हुए प्रतिभूति की समस्त राशि जब्त सरकार करने दिनांक 21.04.2022 को निर्णय पारित किया गया है। जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा द्वारा पुलिस थाना कलिंजरा जिला बॉसवाडा में एक प्रथम सूचना रिर्पोट क्रमांक 239 दिनांक 25.11.2021 दर्ज करवाई गई थी। उक्त प्रथम सूचना रिर्पोट पर थानाधिकारी पुलिस थाना कलिंजरा द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बॉसवाडा में प्रस्तुत की गई अन्तिम रिर्पोट की फोटोप्रति प्रश्नगत अपील के साथ संलग्न है। थानाधिकारी पुलिस थाना कलिंजरा द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर कोई अपराध बनना पाया नही जाकर अन्तिम रिपोर्ट संख्या 11/2021 दिनांक 09.05.2022 मामला अदम वकुवा तथ्य की भूल का मानकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बॉसवाडा के न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपीलार्थी अनुसार उक्त अन्तिम रिपोर्ट को साक्ष्य के रुप में प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर नही दिये गये है। अधिनस्थ न्यायालय को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के तहत साक्ष्य प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिये था।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 21–04–.2022 को अपास्त किया जाता है। अपील[illegible] सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय देते हुए जिला रसद अधिकारी बॉसवाडा [illegible] सिरे से निर्णय पारित किये जाने प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है। अ[illegible] मूल पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:46:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

पालनार्थ प्रेषित की जांवे। अपीलार्थी दिनांक 04–05–2023 न्यायालय जिला रसद अधिकारी बॉसवाड़ा में उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 05–04–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:46:38 IST
Reason: SelfAttested